

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

सुलेमान बनाम अजीमन वगै.

किस्म मुकदमा दावा 53, 188 रा0का0अधि0.....नं0 1/ /2023 सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.01.2023	<p>वकील वादी ने मूल वाद पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी अलवर</p> <p>27-1-23 पतावली पेश हुई। उमय पक्ष उपा। उपखण्ड अधिकारी अज प्रशा0 कार्या में बरस है। दिनांक...26-6-23 को पेश हो। <i>[Signature]</i></p>	
10-4-23	<p>पतावली वादी / वकील वादी के उमय पक्ष पत्र पर सब निदेशित वारीयत पेशी के वकील को गैर उपाय के उमय पक्ष के पक्ष को उपाय नहीं पतावा चाहते हैं। बाद ही बाद बिज्ञा करना चाहते हैं। वादी / वकील वादी को उपाय गण वादी सम्मन करने के उपरान्त वादी को बाद को बाद बिज्ञा करने की अनुमति उपाय करने हुए बाद इकील पर खातिर किया जाता है पतावली वादी के पक्ष को उपाय पेशी के वारीयत पेशी होने।</p>	<p>मे राफना दावा भागे वाली राफना राफना ठापनी विद्वो कर चाहता हू</p> <p><i>[Signature]</i> जोय Lenny</p>

उपखण्ड अधिकारी  
अलवर